आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

मैनुअल – चार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख)(iv),

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मानक/मापमान

- आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्थापित मानक एवं नियमों के अन्तर्गत कार्य किया जाता है।
- जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत **"उत्तराखण्ड अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश, 2003"** के अधीन विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उचित दर पर खाद्यान्न/चीनी उपलब्ध कराया जाना तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है ।
- जन–वितरण प्रणाली के अर्न्तगत राशन कार्ड जारी करने एवं विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न वितरण की मात्रा/मानक निम्नानुसार निर्धारित है :–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु मानक एवं प्रक्रिया

मानक :-

- आदिम आदिवासी तथा सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार।
- ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला या अकेली महिला करती हो तथा परिवार की कुल मासिक आय 15,000 रूपये से कम हो।
- ऐसा परिवार जिसका संचालन के तौर पर मुखिया असाध्य रोगों (कुष्ठ, एच0आई0वी0) से पीड़ित व्यक्ति करता हो तथा परिवार की कुल मासिक आय 15,000 रूपये से कम हो।
- ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति करता हो तथा परिवार की कुल मासिक आय 15,000 रूपये से कम हो।
- ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाला व्यक्ति कर रहा हो तथा परिवार की कुल मासिक आय 15,000 रूपये से कम हो।
- ऐसे व्यक्ति जो रिक्शाचालन, कुली, मजदूर, कूड़ा बिनने वाले, मोची, लोहार, बढई, ग्रमीण दस्तकार, घरों में काम करने वाले सेवक/सेविका, सफाई कर्मी का का कार्य करते हो।
- ऐसा परिवार जो किसी अन्य किसान के अधीन उसकी भूमि पर खेत जोतता हो।
- शहरी क्षेत्रों में स्थापित मलिन एवं झुग्गी झोपड़ी में निवासित ऐसी आबादी जो जारी शासनादेश की तिथि या उससे पहले उत्तराखण्ड राज्य में उस स्थान पर निवास करता हो।
- ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय पर आयकर की देयता न बनती हो।
- ऐसे सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारी जिनकी मासिक आये 15,000 रूपये के अधिक न हो।
- राज्य में ऐसे संचालित संगठन अथवा आश्रम में निवासित ऐसे व्यक्ति जो बेघर हो तथा समाजिक वर्ग से पृथक होकर उक्त संगठन या आश्रम में रहकर जीवन यापन करते हों यथा विधवा आश्रम, बाल/महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोगों से विक्षिप्तों का आश्रम, विकलांगों का आश्रम एवं वृद्धाश्रम।

प्रक्रिया :–

- पात्र प्राथमिक परिवारों के चयन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो अपर जिलाधिकारी स्तर से अन्यून न हो।

- ग्रामीण क्षेत्रों पात्र परिवारों के चयन हेतु ग्राम विकास अधिकारी तथा लेखपाल/पटवारी की टीम बनायी जायेगी तथा शहरी क्षेत्रों में खाद्य राजस्व स्थानीय निकाय तथा अन्य विभागों के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए टीम बनायी जायेगी, जो शासनादेशानुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप पात्र परिवारों का चयन करेगी।
- रू0 15 हजार मासिक आय के प्रमाण पत्र के विषय में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के लिये नायब तहसीलदार से अन्यून राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य रहेगा।
- पात्र परिवारों की सूची को ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम पंचायत की खुली बैठक जिसमें खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी (प्रेक्षक अधिकारी श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 से अन्यून स्तर का अधिकारी) की उपस्थिति में प्रसारित कर तत्काल निस्तारित की जायेगी तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित नगर निकाय के सूचना पट्ट पर पात्र प्राथमिक परिवारों की सूची को चस्पा कर एक सप्ताह के भीतर आपत्ति प्राप्त कर सूची का निस्तारण किया जायेगा, निस्तारण की कार्यवाही के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी का उत्तरदायित्व रहेगा।
- पात्र परिवारों के चयन हेतु ग्राम्य विकास विभाग की बी0पी0एल0 सूची, स्थानीय निकाय स्तर पर मलीन बस्तियों हेतु जारी बी0पी0एल0 सूची तथा समाजिक आर्थिक जाति गणना की सूची का भी संज्ञान सम्बन्धित टीम द्वारा लिया जायेगा।

वित्त शाखा में कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

- खाद्य विभाग की लेखा–शाखा में वित्त नियंत्रक द्वारा आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एव0ं उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्य करते हुये वित्तीय हस्त पुस्तिका के विभिन्न वाल्यूम में दिये गये नियमों एवम् वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का स्वयं पालन करते हुये अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को वित्तीय नियमों के अर्न्तगत कार्य करने के आदेश एवम् दिशा निर्देश पारित कर उनका मार्गदर्शन किया जाता है।
- वित्त हस्त पुस्तिका के विभिन्न वाल्युम के अधीन कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा एवं वेतन सम्बन्धी मामलों का निस्तारण किया जाता है ।

.....